

माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल खालियर
प्रकरण क्रमांक :-

54

CF 15/1

भुवान पिता ढोलाजी मृत वारिसान -

- 1- श्रीमती गंगा विधवा भुवान
 - 2- प्रभु पिता भुवान
 - 3- लक्ष्मण पिता भुवान
 - 4- गिरधारी पिता भुवान
 - 5- गोरधन पिता भुवान
 - 6- कैलाश पिता भुवान
 - 7- सुब्रह्म बट्टी पिता भुवान तथा कृष्ण पिता भुवान
- समस्त जाति माजी , निवासी सीतामऊ जिला मंदसौर

-----आवेदकगण

विरुद्ध

कंचनसिंह पिता नाथुनालजी , निवासी सीतामऊ
जिला मंदसौर -----अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्र०क्र०
109/96-97/अपील भुवान विरुद्ध कंचनसिंह में पारित आदेश
दिनांक 6-7-99 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षा प्रार्थना-पत्र
अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 ।

माननीय महोदय ,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षा प्रार्थना-पत्र छ निम्नानुसार
प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि मृतक भुवान द्वारा न्यायालय तहसील परगना सीतामऊ
में सर्वे नंबर 219 रकबा 0.071 आरे , 220 रकबा 0.101 आरे , 221
रकबा 0.20 आरे , 222 रकबा 1.463 आरे , 226 रकबा 0.131 आरे
तथा सर्वे नंबर 227 रकबा 0.071 आरे कुल किता 6 कुल रकबा 1.830
है 0 ग्राम सीतामऊ जिला तहसील में स्थित है उक्त भूमि के छतरे में ग्राम
पटवारी द्वारा खाना नंबर 12 में कब्जे का इन्द्राज नहीं किया गया था

मुवन / वंद्यवर्ग
R 1732-2 / 99 (मंदमो)

20-7-2018

आवेदक द्वारा श्री ए. उम. शर्मा
अभिभाषण उपस्थित। उनके द्वारा बताया
कि वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं
चाहते हैं।

2/- अनावेदक द्वारा श्री संदीप मेहरा
अभिभाषण उपस्थित।

3/- आवेदक द्वारा प्रकरण नहीं
चलाने के अनुरोध पर समाप्त किया जाता
है।

माननीय
महोदय
श्री
उम. शर्मा

श्री
उम. शर्मा - की